राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/2296   दिनांक 13/9/22

संशोधित अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 941 दिनांक 20/05/2022 चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण ग्राम पंचायत दातारामगढ के स्थान पर ग्राम पंचायत दांता क्षेत्र (जिला सीकर) को चतुर्थ श्रेणी की **नगर पालिका "दांता" लिखा/पढा घोषित किया** जाता है ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022–23 के अन्तर्गत **ग्राम पंचायत "दातारामगढ के स्थान पर ग्राम पंचायत दांता"** की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका दांता की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/ 2297–2330   दिनांकः 13/9/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. सभागीय आयुक्त जयपुर/जिला कलक्टर सीकर राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर। P.D.
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित ग्राम पंचायत "दांता" जिला सीकर (राज.)।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/2296   दिनांक 13/9/22

संशोधित अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना कमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक अधिसूचना कमांक 941 दिनांक 20/05/2022 चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण ग्राम पंचायत दातारामगढ के स्थान पर ग्रांम पंचायत दांता क्षेत्र (जिला सीकर) को चतुर्थ श्रेणी की **नगर पालिका "दांता" लिखा/पढा घोषित किया** जाता है ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022–23 के अन्तर्गत **ग्रांम पंचायत "दातारामगढ के स्थान पर ग्रांम पंचायत दांता"** की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका दांता की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/2297–2330   दिनांकः 13/9/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त जयपुर/जिला कलक्टर सीकर राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर। P.D.
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित ग्राम पंचायत "**दांता** " जिला सीकर (राज)।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

order municipality